उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-31/2020/एस-2-962/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-।।।

लखनऊ :: दिनॉक: 12 जून, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री संजीव गुप्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त अधिकारी, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2	श्री सुरेन्द्र कुमार राय, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, लखनऊ।	निदेशक (वित्त), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ। (श्री आर0पी0 सिंह, निदेशक (वित्त) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के चिकित्सा अवकाश अवधि में उक्त पद का अतिरिक्त प्रभार श्री राय द्वारा देखा जायेगा)

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-31/2020/एस-2-962(1)/दस-2020, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,चिकित्सा शिक्षा/नगर विकास/राजस्वविभाग, उ0प्र0शासन।
3- कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4- निदेशक, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in